न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 78/2019

प्रार्थीया :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
शांतिदेवी पुत्री रामुराम पत्नि उदाराम जाति जाट निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ।		भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री मधुसुदन चौधरी

अप्रार्थी स्वयं तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम रूणकिया तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में आयी हुई है. जिसका विवरण निम्नानुसार है :– खाता सं. 103 खसरा नम्बर 187 रकबा 2.1196 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खाता सं. 104 खसरा नम्बर 61 रकवा 0.1294 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 77 रकबा 2.3542 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खाता सं. 105 खसरा नम्बर 191 रकबा 2.1843 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खाता सं. 106 खसरा नम्बर 56 रकबा 0.0243 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.0647 हैक्टयर गै.मु. ओड, खाता सं. 102 खसरा नम्बर 18/01 रकबा 0.5825 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 52/4 रकबा 1.3349 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 58/2 रकबा 0.7686 किस्म चाही तृतीय, 59/2 रकबा 0.2427 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नम्बर 60/1 रकबा 0.2346 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0.5663 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय भूमियां आयी हुई है । उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थना पत्र के पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है । जिसमें प्रार्थीया माफिक हक हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करती आ रही है । वादग्रस्त आराजी खाता सं. 103 खसरा नम्बर 187 रकबा 2.1196 में प्रार्थीया का 1/9 वां हिस्सा है तथा खाता सं. 104 खसरा नम्बर 61,77 में कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

4836 हैक्टयर में प्रार्थीया का 1/90 वां हिस्सा, खाता सं. 105 खसरा नम्बर 191 रकबा 2.1843 में प्रार्थीया का 1/135 वां हिस्सा तथा खाता सं. 106 खसरा नम्बर 56, 57 कुल खसरा कुल रकबा 0.0890 में प्रार्थीया का 1/45 वां हिस्सा एवं खाता सं. 102 खसरा नम्बर 180/1, 52/4, 58/2, 59/2, 60/1, 78/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.7296 हैक्टयर में प्रार्थीया का 1/9 वां हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी सहदायगी सम्पति है जिस पर प्रार्थीया के पिता दादा काबिज होकर काश्त करते थे । प्रार्थीया के पिता रामूराम पुत्र मोतीराम के देहान्त पश्चात् वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया को जरीये विरासत प्राप्त हुई है । प्रार्थीया को अपने पीहर में केली नाम से जाना पुकार जाता था लेकिन प्रार्थीया का पैदाईशी नाम शान्तिदेवी है । प्रार्थीया के नाम से आधार कार्ड, भामाशाह बना हुआ है जो शान्तिदेवी के नाम से है । प्रार्थीया का घरेलु व बोलचाल का नाम केली है इसलिए प्रार्थीया के पिता स्व. रामूराम के देहान्त के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सेवन से राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवंश केली पुत्री रामूराम दर्ज कर दिया जवकि अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम शान्तिदेवी है । प्रार्थीया हाल ही में किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु ग्राम रूणकिया में स्थित संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन की नकले प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में केली है इसलिए प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थीया ने दिनांक 24.06.2019 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकले प्राप्त कर अप्रार्थी से राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर केली के स्थान पर शान्तिदेवी नाम इन्द्राज करने हेतु कहा इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने का कहा इसलिए प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है । प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से माफिक हक हिस्सानुसार साहुलियत अनुसार काश्त करती आ रही है । शान्ति देवी व केलीदेवी शख्स प्रार्थीया ही है इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर केली के स्थान पर प्रार्थीया शान्तिदेवी इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम रूणकिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर केली पुत्री रामूराम के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

शान्तिदेवी पुत्री रामूराम पत्नि उदाराम जाति जाट इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमावें ।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गया जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है ग्राम रूणकिया के खाता सं. 102 से 106 तक में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज,आधार कार्ड, भामाशाह एवं ग्राम पंचायत खवासपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं हल्का पटवारी चिरड़ाणी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम केली पुत्री रामूराम के स्थान पर शान्ति पुत्री रामूराम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रूणकिया की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं. 102 से 106 में दर्ज नाम केली पुत्री रामूराम के स्थान पर शान्ति पुत्री रामूराम दर्ज कर, दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner